भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **5376**

दिनांक 25 जुलाई , 2019 / 3 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अमरावती से विमान सेवाएं

5376. श्रीमती नवनीत रवि राणा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी महानगरों से अमरावती के लिए विमान सेवाएं प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अमरावती विमानपत्तन को विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे है; और

(ग) मुम्बई, दिल्ली, पूणे इत्यादि महानगरों से अमरावती के लिए विमान सेवा कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): मार्च, 1994 में विमान निगम अधिनियम की निरसन के कारण भारतीय अंतर्देशीय विमानन क्षेत्र अविनियमित हो गया था। एयरलाइनें किसी भी विमान प्रकार को अपने बेड़े में शामिल करके क्षमता संवर्धन करने, सेवाएं प्रदान करने तथा प्रचालन करने हेतु किसी भी बाजार व नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतत्र हैं। सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसलिए, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के मद्देनजर यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

सरकार ने विमान यात्रा को किफायती बनाकर क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता को सुलभ बनाने/उद्दीपन हेतु क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की है। क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़ान मांग आधारित तंत्र है। क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता मार्गों के विकास को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया गया है और एयरलाइनें विशिष्ट मार्गों पर मांग और आपूर्ति की प्रकृति का आकलन करती हैं और आर.सी.एस की प्रक्रिया में भाग लेती है।

क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस)- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अंतर्गत, मौजूदा असेवित हवाईअड्डों के जीर्णोद्धार का प्रावधान है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रमों और सिविल एन्क्लेवों के मौजूदा असेवित/निम्न सेवित हवाईअड्डों/हवाईपट्टियों के जीर्णोद्धार हेतु दिनांक 06 मार्च, 2017 को प्रस्ताव अनुमोदित किया है। तथापि इन असेवित/ निम्नसेवित हवाईअड्डों का जीर्णोद्धार मांग आधारित प्रकिया है, जो विभिन्न रियायतें उपलब्ध कराने के लिए एयरलाइन प्रचालकों और राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

अमरावती हवाईअड्डा आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत असेवित हवाईअड्डों की सूची में है। उड़ान योजना के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के तीसरे चरण में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्रियान्वयन एजेंसी ने हवाईअड्डे की उपयुक्तता के आधार पर अमरावती और मुंबई के बीच आरसीएस मार्गों के लिए मैसर्स एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड को आशय पत्र जारी किया है।

इसके अतिरिक्त , अमरावती से दिल्ली व पुणे के लिए आरसीएस उड़ान प्रचालित करने हेतु किसी भी एयरलाइन ने बोली प्रस्तुत नहीं की है।

*****